

बिहार शिक्षा परियोजना, वैशाली

(प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)

पानहाट, लक्ष्मी घर्मकांटा के निकट, हाजीपुर पिन न०-844101

पत्रांक 655 /

प्रेषक :

संग्राम सिंह

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

एस० डी० पब्लिक स्कूल ग्राम-रामपुर किचनी, देसरी

जिला-वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक 31/03/2020

विषय:

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के अन्तर्गत विद्यालय को प्रदत्त प्रस्वीकृति की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के आलोक में किये गये प्रक्रिया के उपरांत आपके एस० डी० पब्लिक स्कूल ग्राम-रामपुर किचनी, देसरी को कक्षा प्रथम से अष्टम तक संचालन हेतु तीन वर्षों अर्थात् मार्च 2020 से फरवरी 2023 तक की अवधि के लिए आवंटित औपबधिक प्रस्वीकृति संख्या-RTE/VSL-0051/2014 का अवधि विस्तार किया जाता है। प्रदत्त प्रस्वीकृति, शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के धारा-18 के अन्तर्गत प्रपत्र-2 में वर्णित शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति संख्या- RTE/VSL-0051/2014 है। कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाय।

विश्वासराजन

(संग्राम सिंह)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, वैशाली

आपाक 655 / हाजीपुर, दिनांक 31/03/2020

प्रतिलिपि:

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), वैशाली एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित विद्यालय को विभाग द्वारा औपबधिक प्रस्वीकृति दी गई है। जिनका विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र मान्य है तथा जिनका प्रतिहस्ताहरण आपके द्वारा अभिलेखों के मिलान उपरांत किया जाना है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, वैशाली